प्रेस नोट– जनपद मुजफ्फरनगर
दिनांक– 13.07.2025

- **थाना नई मण्डी एवं एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा फैक्ट्री में ब्रांडेड कम्पनी का नकली खाद/उर्वरक बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार–**

दिनांक 13.07.2025 को प्र0नि0 थाना नई मण्डी श्री दिनेश चन्द्र, एसओजी टीम मय हमराहीगण द्वारा फैक्ट्री में ब्रांडेड कम्पनी का नकली खाद/उर्वरक बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 05 शातिर अभियुक्तगण 1. रमेशपाल पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बच्चन सिंह कालोनी थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर 2. रियासत पुत्र हसन निवासी ग्राम नसीरपुर थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर 3. आसिफ पुत्र अख्तर 4. आरिस पुत्र अकबर व 5. सलीम पुत्र मेहरबान निवासीगण ग्राम शेरनगर थाना नई मण्डी, मुजफ्फरनगर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिलाजुडडी जाने वाले रास्ते पर श्रीराम एग्रो आर्गेनिक इण्डस्ट्रीज फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से कीमत लगभग 40 लाख रुपये का एक अदद मिक्सिगं मशीन मय ईन्जन, एक अदद जनरेटर , दो तस्ले , दो बेलचा , एक फावडा , दो छलने , एक पैकेट सील करने वाली मशीन , एक बोरी सिलने वाली मशीन , एक इलेक्ट्रोनिक तराजू , 6 खाली बाल्टी, 77 बैग एम0ओ0पी0 आईपीएल ब्राण्ड उर्वरक (भरे हुए), 11 खाली बैग आईपीएल ब्राण्ड एमओपी, एक बुलेरो पिकअप नं0 यूपी 12 बी0टी0 6667, 11 बैग इफको जिंक फर्टिलाईजर जिंक सल्फेट मोनो हाईड्रेट (भरे हुए), 107 बैग जिप्सम दाना (भरे हुए), 11 बैग नमक (भरे हुए), 12 बैग फटेरा रसायन (भरे हुए), 35 बैग कार्वोफ्यूरान (भरे हुए), 7 बैग निदान कार्पेट हाईडाक्लोराईड (भरे हुए), 3 बैग दयाल मोनो जिंक (भरे हुए), 7 बैग फ्यूरोडॉन 3जी (भरे हुए), 45 बैग वर्टाको (भरे हुए), 50 पैकेट खाली वर्टाको, 42 पैकेट खाली रिजेन्ट कम्पनी के बायर कम्पनी, 265 पैकेट खाली फटेरा, 47 पैकेट खाली दयाल मोनों जिंक, 142 बैग खाली श्रीराम कैल्शियम सल्फेट, 100 बैग खाली इफको कम्पनी, 150 बैग खाली श्रीराम बायोकेन जैम, 140 बैग छोटे बडे क्रिस्टल कम्पनी, 45 खाली बैग दयाल मोनो जिंक, 40 बैग खाली इफको जिंक फर्टिलाईजर, 40 बैग धरती कुबेर खाली, 410 बैग खाली पुराने बिना किसी कम्पनी के लेबल के, 02 ड्रम प्लास्टिक के केमिकल के, एक बडा नीला ड्रम जिसमे कैमिकल (एपीएसयूआरएफ) भरा है, एक बैग लाल रंग का पाउडर (डाई), 79 खाली गत्ते जिनपर फटेरा कम्पनी का लेबल प्रिन्ट है, 50 गत्ते खाली पेटी जिसपर कोई लेबल नही है, एक टेपिंग मशीन (डिब्बा पैक करने वाली) बरामद किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 339/2025 धारा 318(4),336(2),336(3),336(4),340(2),345(2),345(3) बीएनएस व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम खण्ड 7/8/19(सी)(2) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985,63/65 कापीराईट अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार–**
  दिनांक 13.07.2025 को थाना नई मण्डी पर नियुक्त उ0नि0 श्री विवेक मुदगल मय हमराहीगण द्वारा अभियुक्त मोहम्मद अफजाल पुत्र मंजूर निवासी ग्राम खरदौनी थाना इन्चौली जनपद मेरठ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेहडा अस्सा से ग्राम दाहखेडी की ओर जाने वाली रजवाहे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 87/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।